पत्र सं०–5/पी०–170/2021– 59(5)ब, स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 09.01.2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत गुमला जिला के 30 शय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालकोट के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 2,70,74,832/– (दो करोड़ सत्तर लाख चौहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस) रुपये मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–35(6)ब दिनांक–06.06.2018 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–54(5) योजना दिनांक–24.12.2025 एवं कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निमाण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2249(नि) दिनांक–01.09.2025 के क्रम में गुमला जिला के 30 शय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालकोट के भवन निर्माण की योजना हेतु अधोलिखित तालिका के अनुरूप कुल 2,70,74,832/– (दो करोड़ सत्तर लाख चौहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है:–

(राशि रुपये में)

क्र०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश पत्रांक एवं तिथि	मूल प्रशासनिक स्वीकृत राशि	योजना की कुल लागत राशि	अबतक आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि
1	30 शय्यावाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालकोट, गुमला के भवन निर्माण की योजना	35(6)ब 06.06.2018 एवं 54(5) यो 24.12.2025	10,91,73,300	12,70,74,832	10,00,00,000	2,70,74,832	12,70,74,832

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेशों की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का क्रियान्वयन स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

3. व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–01–110–48–01–05–45) के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल, राँची होंगे, जो राशि का एकमुश्त हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता–मुख्यशीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–120–अन्य निधियाँ में करेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे

6. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

7. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 वि०, दिनांक–17.04.98 एवं 1800(वि), दिनांक–15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

8. राशि निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं योजना के कार्यकारी एजेंसी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के अभियन्ताओं का दायित्त्व होगा।

12. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति में निगम के संबंधित पदाधिकारी/अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

13. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: 59(5)ब, राँची, दिनांक: 09.01.2026

प्रतिलिपिः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची।
3. उपायुक्त, गुमला।
4. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)	(ललित मोहन शुक्ला)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

59(5)ब, 09.01.2026

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 5/P-170/2021/59(5)B

दिनांक - 09-Jan-202

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111048010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण **State Scheme**	85481	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	27,074,832. रुपये दो करोड सत्तर ल चौहत्तर हजार आठ सौ बत्ती

State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT

Centeral Scheme : NAVEL(1691)

योग: 27,074,832.00

रुपये दो करोड सत्तर लाख चौहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111048010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹2,70,74,832.00 (85481)	₹2,70,74,832.00

कुल आवंटित राशि :- ₹2,70,74,832.00 (दो करोड सत्तर लाख चौहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY